Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to include persons suffering from colour blindness under Physically Handicapped (PH) category-laid.

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): मेरे संसदीय क्षेत्र में एक युवक की तकलीफों को मैं आवाज देने की कोशिश कर रही हूँ । निरव मकवाणा उनका नाम है । मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाला बच्चा 10वीं कक्षा में 83.38 प्रतिशत लाता है और 12वीं कक्षा में 83.83 प्रतिशत लाता है । श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग पास करता है । और जब वो इंजीनियर हो के सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करता है तब उसे पता चलता है कि वो कलर ब्लाइन्डनेस नामक बीमारी से ग्रसित है । आप कल्पना कर सकते हैं कि जीवन के 25 साल श्रेष्ठ परिणाम देते हुए पढ़ाई करने के बाद जब नौकरी की आवश्यकता होती है तो इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है । न वो नोर्मल युवक में शामिल है और न ही दिव्यांग युवक में गिना जाता है । उसके लिए भविष्य अंधकारमय बन जाता है और सब दरवाजे बंद हो जाते हैं । जब वो सरकार में पत्र लिखता है उसका जवाब मिलता है कि पीडब्लयू एक्ट 1995 और आरपीडब्ल्यू डी एक्ट 2016 के अन्तर्गत उसे दिव्यांग की श्रेणी में नहीं गिना जाता । यह एक किस्सा है लेकिन पूरे देश भर में ऐसे हजारों आशावान युवक युवतियां होंगी जिनको जीवन के युवावस्था में ही अपना पूर्ण भविष्य अंधकारमय दिखता है । यह दिक्कत इस लिए आती है कि आंखों में कुछ पिगमेन्ट बचपन से कार्यरत न होने की वजह से कुछ कलर्स आंखे पहचान नहीं पाती या देख नहीं पाती । जब कि कम दिखना दिव्यांगता का भाग है । इस प्रकार के बच्चों में यह बीमारी उसी प्रकार विकसित होती है । पिगमेन्ट काम न कर रहे हो एवं ऐसे पिगमेन्टों की संख्या बढने से अंधत्व आता है और वह दिव्यांगता की श्रेणी में आता है तो इन केसों में भी हमें इस प्रकार की तकलीफ को दिव्यांगता की परिभाषा में गिनना चाहिए ताकि इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित बच्चों के परिवार को बचाया जा सके ।

मेरी मांग है कि पूरे देश में इस प्रकार से ग्रसित युवक युवतियों की पहचान करते हुए उनके लिए जीवनयापन की व्यवस्था करते हुए कानून में संशोधन करके उन्हें नेचुरल जस्टिस दिलाया जाए ।